डी. एस. तेवतिया और जी. सी. मितल, जे.जे. से पहले

जवाहर लाल अरोड़ा,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 2842

अक्टूबर 29, 1985

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 16-सरकारी अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ-उक्त अधिकारी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए दायर किया गया अभ्यावेदन-ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के संबंध में कोई वैधानिक नियम या विनियम नहीं- प्रतिकूल कार्यवाही लंबित होने के कारण अधिकारी को पदच्युत कर दिया गया टिप्पणियाँ - बाद में अभ्यावेदन की अनुमति दी गई और प्रतिकूल टिप्पणियाँ निष्कासित - इस बीच कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया – ऐसे अधिकारी-क्या लंबित अभ्यावेदन के समक्ष सुनवाई के हकदार हैं निर्णय लिया गया - ऑडी-अल्टरम-पार्टेम का नियम - चाहे आकर्षित हो ऐसे मामले में - प्रतिकूल टिप्पणियों का निष्कासन - चाहे हकदार हो संबंधित अधिकारी को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा वह तारीख जब उसे शुरू में हटा दिया गया था।

निर्णय, कि किसी वैधानिक नियम या विनियम के अभाव में, एक प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ व्यथित अधिकारी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर प्रतिनिधित्व दायर करने का हकदार है और यदि नियमों या विनियमों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है, तो उसका पालन करें। राज्य सरकार एक या दूसरे तरीके से अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम थी, और इस तरह के निर्णय के लिए, अभ्यावेदन पर अधिकारी, चाहे अभ्यावेदन की स्वीकृति से प्रभावित होने की संभावना हो, सुनवाई का हकदार नहीं है। इसकी न तो किसी नियम या निर्देश से अनुमति है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर यह संभव होगा। जबकि जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसे ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिनिधित्व दायर करने की अनुमति है। लेकिन यदि कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरुद्ध अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाती है, तब कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी की अच्छी रिपोर्ट के विरुद्ध भी इसे नीचे लाने के लिए अभ्यावेदन दायर करेगा। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अधिकारी द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय होने से पहले कोई भी कनिष्ठ अधिकारी सुनवाई का हकदार नहीं होगा और ऐसे मामले में ऑडी-अल्टरम-पार्टम का नियम लागू नहीं होता है।

(पैरा 8)

निर्णय, कि अभ्यावेदन की स्वीकृति तथा प्रतिकूल टिप्पणियों को समाप्त करने तथा पदक्रम में सुधार के दृष्टिगत अधिकारी की आगे की पदोन्नति के मामले पर अभ्यावेदन पर पारित आदेश के आलोक में उस तिथि से पुनर्विचार किया जाए जब ऐसा हो। अधिकारी को शुरू में हटा दिया गया था।

(पैरा 11)

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए दिनांक 7 अगस्त, 1984 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी द्वारा मामला बड़ी पीठ को भेजा गया... डिवीजन बेंच में माननीय श्री न्यायमूर्ति शामिल थे डी. एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति गोकल चंद मितल ने अंततः 29 अक्टूबर, 1985 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि -

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड कृपया उत्तरदाताओं से मंगाया जाए और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी या परमादेश की रिट जारी की जा सकती है, अनुबंध पी-9 और उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है। उत्तरदाताओं को आई.ए.एस. में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता पर फिर से विचार करना होगा। वर्ष 1973 और उसके बाद के वर्षों के लिए प्रासंगिक समय पर लागू नियमों और याचिकाकर्ता की नियुक्ति और आई.ए.एस. में अवशोषण के अनुसार चयन सूची। अपने से कनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि से प्रभावी रूप से विनियमित किया जाएगा;

(ii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है;

(iii) इस स्तर पर प्रस्ताव की सूचना की सेवा समाप्त की जा सकती है; और रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक आगे की पदोन्नति पर रोक लगाई जा सकती है।

(iv) याचिका की लागत को याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के विरुद्ध अनुमति दी जा सकती है।

सिविल विविध. 1984 का क्रमांक 1757:

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका में श्री जे.पी. नारंग (अतिरिक्त प्रतिवादी) द्वारा दायर लिखित बयान की प्रतिकृति दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से के.पी. भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुनील गौड़, अधिवक्ता (वी.के. बाली, उनके साथ अधिवक्ता)।

प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह (जी.सी. गुप्ता, उनके साथ अधिवक्ता)।

एच. एस. बराड़, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकील।

बी.एल. बिश्नोई, अतिरिक्त ए.जी. (एच.ओ.)। निर्मल यादव ए.ए.जी. के साथ (हाय), नंबर 3 के लिए।

डी. एस. बाली, नंबर 9 के वकील।

नौबत सिंह, अधिवक्ता संख्या 13.

वी. के. वशिष्ट, संख्या 14 और 19 के लिए वकील।

निर्णय

गोकल चंद मितल, जे.:

(1) इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए दो मुख्य बिंदु उठते हैं। एक, प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ दायर अभ्यावेदन पर विचार करते समय, कनिष्ठ अधिकारी, जिन्हें इस बीच पदोन्नत किया गया हो, ऑडी-अल्टरम-पार्टम के नियम के तहत सुनवाई के हकदार होंगे, और दो अभ्यावेदन की अनुमति के बाद। राज्य सरकार एवं प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त कर ग्रेडिंग में सुधार किया जाए, क्या उक्त अधिकारी के अग्रतर प्रोन्नति हेतु अभ्यावेदन पर पारित आदेश के आलोक में पुनः विचार किया जाना है।

(2) याचिकाकर्ता जे.एल. अरोड़ा का चयन वर्ष 1950 में राज्य सिविल सेवा में हुआ। वर्ष 1972-73 में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणी दर्ज की गई कि उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। अन्यथा उनके काम को 'अच्छा' दर्जा दिया गया था। प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर उन्होंने प्रतिवेदन दिया। नियम/निर्देशों के अनुसार अभ्यावेदन पर तीन माह की अवधि में निर्णय लिया जाना था लेकिन इसमें 4 वर्ष लग गये। अंततः, दिसंबर, 1977 में दिए गए आदेश अनुलग्नक पी-2 के माध्यम से अधिकारी को सूचित किया गया कि वर्ष 1972-73 की गोपनीय रिपोर्ट में, प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया था। इसके बाद पत्र, दिनांक 2 फरवरी, 1978 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि पत्र, अनुलग्नक पी.2 के आलोक में वर्ष 1972-73 की गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन में सुधार किया गया है। बेहतर टिप्पणियाँ 'बहुत अच्छी' थीं।

(3) जब अभ्यावेदन लंबित था, राज्य सिविल सेवा में कनिष्ठ अधिकारियों को चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक एक रिक्ति को खाली रखा गया था। टिप्पणियाँ हटा दिए जाने और उन्हें अपग्रेड किए जाने के बाद, राज्य सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया और, अनुबंध पी 7/ए के माध्यम से उन्हें उस तारीख से चयन ग्रेड कैडर में पदोन्नत कर दिया, जिस दिन उनके कनिष्ठ को चयन ग्रेड दिया गया था, यानी 21 जनवरी, 1972। परिणाम यह हुआ कि उनकी वरिष्ठता बहाल कर दी गई।

(4) 1973 से लेकर राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने से पहले तक उसे आई.ए.एस. की चयन सूची में नहीं लाया गया। वर्ष 1972-83 की प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट के मद्देनजर, क्योंकि उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, उनके अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया गया और राज्य सूची में उनकी वरिष्ठता बहाल कर दी गई, जब आईएएस के लिए चयन सूची तैयार करने का मामला विचार के लिए आया। 1978 में उनका चयन हो गया। वर्ष 1979 के लिए तैयार की गई चयन सूची में उन्हें फिर से चुना गया और अंततः 26 दिसंबर, 1980 को उन्हें आईएएस कैडर में शामिल कर लिया गया। आईएएस कैडर में शामिल होने के बाद, उन्होंने 1973 से 1977 के वर्षों के लिए आईएएस कैडर चयन सूची में शामिल करने और शामिल करने के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार को 27 फरवरी, 1981 को अनुबंध पी 3 प्रस्तुत किया। प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने और ग्रेडेशन में सुधार के मद्देनजर उन्हें उसी आधार पर आईएएस कैडर में रखा गया है। वह आगे अभ्यावेदन प्रस्तुत करता रहा जो अनुलग्नक पी4 से पी6 और अनुलग्नक पी8 और पी9 हैं। अंततः, उन्हें 24 फरवरी, 1982 को पत्र, अनुलग्नक पी10, द्वारा सूचित किया गया कि उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

(5) प्रारंभ में केवल भारत संघ, संघ लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस न्यायालय की अनुमति मांगने के बाद वे अधिकारी जिनके खिलाफ राहत मांगी गई थी या रिट की स्वीकृति पर प्रभावित हुए होंगे याचिका में भी पक्षकार बनाया गया। रिट याचिका

एम. एम. पुंछी, जे. के समक्ष सुनवाई और निपटान के लिए आई। सुनवाई के दौरान, उन अधिकारियों के खिलाफ दावा खारिज कर दिया गया, जिन्हें 1973 और 1974 की चयन सूची में लाया गया था और आईएएस कैडर में समाहित कर लिया गया था। वर्ष 1975-76 और 1977 के मामलों पर पुनः विचार करने तक सीमित। निजी उत्तरदाताओं की ओर से एक तर्क उठाया गया था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित टिप्पणियों को हटाने का आदेश ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का उल्लंघन करके पारित किया गया था। हालाँकि इसके नागरिक परिणाम उन पर प्रभावित हुए क्योंकि उन्हें न केवल आईएएस कैडर में समाहित कर लिया गया था बल्कि उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में भी ले लिया गया था। तर्क के समर्थन में लखी राम में आई. एस. तिवाना, जे. के निर्णय पर भरोसा किया गया। पुनिया बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,[1]. इसे एम. एम. पुंछी, जे. के संज्ञान में लाया गया। कि लेटर्स पेटेंट अपीलें आई. एस. तिवाना, जे. के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं और चूंकि उन्हें इस तथ्य के संबंध में कुछ आपत्तियां थीं कि क्या श्रीमती का मामला। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (2), मामले के तथ्यों पर लागू होता था क्योंकि आई. एस. तिवाना, जे., ने मुख्य रूप से उस निर्णय पर भरोसा किया था, उनकी राय थी कि मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो उन एलपीए के साथ। यह रिट याचिका एलपीए के साथ लगाई गई थी और दलीलें एक साथ सुनी गईं।

(6) आर. एल. कल्सन बनाम लाखी राम पुनिया और अन्य में निर्णय,[3]। वह मुद्दा, जो आई.एस. तिवाना, जे. द्वारा तय किया गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि पार्टियों के वकील सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को देखने के बाद गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करना चाहते थे, और हमने वही किया। उस मामले में दिए गए निर्णय की इस मामले के निर्णय के उद्देश्यों से कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि तथ्य पूरी तरह से अलग हैं। हालाँकि, जहाँ भी यह दिखाने के लिए उस मामले के तथ्यों को संदर्भित करना आवश्यक होगा कि तथ्य अलग थे, इस मामले में शामिल बिंदुओं पर चर्चा करते समय संक्षिप्त संदर्भ दिया जाएगा।

(7) इससे पहले कि हम मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए आगे बढ़ें, जैसा कि इस मामले के रिकॉर्ड में सामने आया है, निजी उत्तरदाताओं की ओर से एम. एम. पुंछी, जे. के समक्ष उठाए गए बिंदु पर निर्णय लेना होगा। यदि यह माना जाता है कि प्रतिकूल गोपनीय टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने से पहले निजी उत्तरदाता सुनवाई के हकदार थे, तो मामले की योग्यता तय करना आवश्यक नहीं होगा जिसे प्राधिकारी द्वारा देखा जाएगा। अभ्यावेदन पर सुनवाई होगी, लेकिन यदि यह माना जाता है कि निजी उत्तरदाता अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने से पहले सुनवाई के हकदार नहीं थे, तो उस स्थिति में हमें गुण-दोष पर गौर करना होगा।

(8) निजी उत्तरदाताओं के वकील ने लाखी राम पुनिया बनाम हरियाणा राज्य[4] में आई.एस. तिवाना, जे. के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया है, इस प्रस्ताव के लिए कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व से पहले निजी उत्तरदाताओं पर विचार किया गया था। जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे लेकिन इस बीच उन्हें चयन ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया था, उन्हें सुना जाना चाहिए था। उनके अभ्यावेदन को स्वीकार करने से उनकी पदोन्नति की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ जारी रहीं तो उनकी

---

[1] 1979 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1057, 9 दिसंबर 1982 को निर्णय लिया गया।

[2] ए.आई.आर.1978, एस.सी. 587.

[3] एल.पी.ए. 1983 के 119 का निर्णय 11 सितम्बर 1985 को हुआ।

[4] 1979 का सीडब्ल्यूपी 1057, 9 दिसंबर 1982 को निर्णय लिया गया।

पदोन्नति की संभावना में सुधार होगा। उठाए गए मुद्दे के कारण लखी राम पुनिया के मामले (संक्षेप में 'पुनिया के मामले') के तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान देना आवश्यक हो गया है। राज्य पुलिस सेवा में कल्सन पुनिया से वरिष्ठ थे। कल्सन के सर्विस रिकॉर्ड में दो प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट दर्ज। उक्त रिपोर्टों के खिलाफ कल्सन ने अभ्यावेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। अभ्यावेदन अस्वीकृत होने के 4/5 साल बाद और सरकार बदलने के बाद कलसन ने दूसरा अभ्यावेदन दाखिल किया। इस बीच पुनिया, जिनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा था, को राज्य पुलिस सेवा (एस.पी. गैर-आईपीएस) में अगले सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया और उसी वर्ष उन्हें आईपीएस की चयन सूची में रखा गया। इसके बाद कल्सन का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया गया और प्रतिकूल रिपोर्टें हटा दी गईं। पुनिया ने कलसन को दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने में सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की। रिट याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गई कि प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। पुनिया उच्चतम न्यायालय में गए और उनकी अपील की अनुमति दी गई और यह माना गया कि उनके पास अधिकार क्षेत्र था और भगवती, जे की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> "लेकिन हमारी राय में यह दृष्टिकोण गलत है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का प्रभाव अपीलकर्ता की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यदि अपीलकर्ता यह दिखाने में सक्षम है कि टिप्पणियाँ अवैध और अमान्य थीं, प्रतिकूल टिप्पणियाँ प्रतिवादी संख्या 6 की गोपनीय रिपोर्ट में बनी रहेंगी और इससे प्रतिवादी संख्या 6 के मुकाबले अपीलकर्ता की पदोन्नति की संभावना में सुधार होगा। इसलिए अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से हकदार था। यह दर्शाता है कि सरकार ने उत्तरदाताओं संख्या 6 की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने में अपनी शक्तियों के दायरे से परे काम किया और प्रतिकूल टिप्पणियों का निष्कासन रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के पास, 'परिस्थितियों में, याचिका को बनाए रखने का अधिकार था..."

इस फैसले को लाखी राम पुनिया बनाम हरियाणा राज्य बताया गया है। ([5]). इसके बाद, उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और श्रीमती का संदर्भ देने के बाद इस मामले को आई.एस. तिवाना, जे. कीनिंग द्वारा उठाया गया। मेनका गांधी के मामले (सुप्रा) में यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से पहले पुनिया सुनवाई के हकदार थे और चूंकि ऐसा नहीं किया गया, ऑडी अल्टरम पार्टम के नियमों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, रिट की अनुमति दे दी गई, टिप्पणियों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिससे राज्य सरकार को पक्षों को सुनने के बाद मामले पर फिर से विचार करने की स्वतंत्रता मिल गई। एल.पी.ए. में उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर याचिका में, आई.एस. तिवाना, जे द्वारा तय किए गए बिंदु पर इस कारण से ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि पार्टियों के वकील चाहते थे कि हम मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करें। एलपीए का निपटान करते समय यह कानून का विषय माना गया कि एक बार प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ एक अभ्यावेदन का निर्णय हो जाता है और यदि वैधानिक नियमों या विनियमों के तहत कोई अन्य उपाय नहीं है, तो मामले पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता है। मामले पर पुनर्विचार कर पारित आदेश को हमारे द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता के पहले अभ्यावेदन पर, राज्य सरकार ने प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया और उसे 'अच्छे' के बजाय 'बहुत अच्छा'

---

[5] 1982(3) एस.एल.आर. 110.

दर्जा दिया। यह दिसंबर, 1977 में हुआ, - अनुबंध पी. 2 के तहत और फरवरी, 1978 में, - अनुबंध पी. 1 के तहत। किसी भी प्रतिवादी ने उपरोक्त आदेशों के खिलाफ शिकायत नहीं की, क्योंकि न तो उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रतिनिधित्व दायर किया और न ही दाखिल करके उनका विरोध किया। एक रिट और तब तक संतुष्ट रहे जब तक कि याचिकाकर्ता ने 1982 में रिट याचिका दायर नहीं की और पहली बार लिखित बयान में मुद्दा उठाया। इतनी देर से उन्हें मामले को तूल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, जैसा कि किसी भी वैधानिक नियमों या विनियमों की अनुपस्थिति में कल्सन के मामले में आयोजित किया गया था, प्रतिकूल गोपनीय टिप्पणियों के खिलाफ व्यथित एक अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर एक प्रतिनिधित्व दायर करने का हकदार है, और यदि नियमों या विनियमों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है फिर उसी का पालन करना है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल रिपोर्ट मिलते ही विभागीय निर्देशों के आधार पर अभ्यावेदन दाखिल किया, जिस पर राज्य सरकार ने काफी विलंब के बाद निर्णय लिया. राज्य सरकार किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में सक्षम थी और इस मामले में प्रतिनिधित्व पर अनुकूल निर्णय लिया गया। हमारा मानना है कि इस तरह के अभ्यावेदन के निर्णय के लिए निजी उत्तरदाताओं को सुनने का अधिकार नहीं है। इसकी न तो किसी नियम या निर्देश से अनुमति है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर यह संभव होगा। प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी, चाहे वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सरकार के किसी भी उपक्रम में कार्यरत हो, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट हर साल दर्ज की जाएगी। जबकि जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसे इसके खिलाफ अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति है, लेकिन यदि कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है, तो कनिष्ठ अधिकारी 'अच्छे' के खिलाफ भी अभ्यावेदन दायर करेगा। ' या इसे नीचे लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की 'बहुत अच्छी' या 'उत्कृष्ट' रिपोर्ट। यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो पूरे वर्ष के दौरान, बड़ी संख्या में आने वाले अभ्यावेदनों पर निर्णय लेना संबंधित प्राधिकारी के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए, हम इस मामले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर सीमित रखना चाहेंगे ताकि केवल पीड़ित अधिकारी को ही अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी जा सके जिसके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट दर्ज की गई है और कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति उस पर विचार करने और निर्णय लेने से पहले सुनवाई का हकदार नहीं होगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, केवल एक प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी, दूसरे की नहीं। इसलिए, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले के तथ्य कलसन के मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

(9) सुप्रीम कोर्ट ने लखी राम पुनिया के मामले (सुप्रा) के विशिष्ट तथ्यों पर केवल यह देखा था कि किसी अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है यदि वह ऐसा करने में सक्षम है। दिखाएँ कि टिप्पणियों का निष्कासन अवैध या अमान्य था क्योंकि यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ गोपनीय रिपोर्ट में रहतीं तो उनकी पदोन्नति की संभावना बढ़ जाती। इस आधार पर यह देखा गया कि कनिष्ठ अधिकारी के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को बनाए रखने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट यह मान सकता था कि 'कनिष्ठ अधिकारी टिप्पणियों को हटाने से पहले सुनवाई का हकदार था।' लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्हें केवल रिट याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि जब कलसन के मूल प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया तो पुनिया को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और कलसन के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया। इसके काफी समय बाद एक और अभ्यावेदन दाखिल किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया। इन परिस्थितियों में, कनिष्ठ

अधिकारी, जिसे इस बीच पदोन्नत किया गया था, को याचिका को बनाए रखने का अधिकार दिया गया था। भले ही उपरोक्त मामले को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाए, हमारा विचार है कि निजी उत्तरदाता इससे कोई सहायता नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले, कनिष्ठ अधिकारियों को चयन ग्रेड में पदोन्नत करते समय याचिकाकर्ता के लिए उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक एक रिक्ति खाली रखी गई थी। ऐसा केवल इस दृष्टि से किया गया था कि यदि उनका अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उन्हें उसी तिथि से पदोन्नत करके वरिष्ठता में यह स्थान बहाल कर दिया जाएगा, जब उनके कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी गई थी। दूसरे, किसी भी निजी उत्तरदाता ने दिसंबर, 1977 में पारित आदेश (अनुलग्नक पी. 2) को चुनौती नहीं दी, जिसके द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया था और न ही फरवरी 1978 के राज्य सरकार के आदेश (अनुलग्नक पी 1) को चुनौती दी, जिसके द्वारा ग्रेडेशन को 'अच्छे' से सुधारा गया था। 'बहुत अच्छा' तक, और 'वर्ष 1982 में याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने तक भी संतुष्ट रहे। पहली बार लिखित बयान में चुनौती दी गई थी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन्हें इतनी देर से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और तीसरी बात यह है कि निजी उत्तरदाताओं की ओर से हमारे सामने कोई तर्क नहीं उठाया गया था कि राज्य सरकार के पास प्रतिनिधित्व पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं थी या इसे स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। प्रतिनिधित्व और टिप्पणियों को हटाने और ग्रेडेशन में सुधार करने में। इसलिए, मामले को किसी भी कोण से देखने पर लखी राम पुनिया के मामले (सुप्रा) में निर्णय किसी भी तरह से निजी उत्तरदाताओं को मदद नहीं करता है। तदनुसार, जो तर्क एम. एम. पुंछी, जे के समक्ष उठाया गया था और निजी उत्तरदाताओं की ओर से हमारे सामने दोहराया गया है, उसमें कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

(10) मामले की योग्यता के आधार पर, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश उन्हें दिसंबर, 1977 में पत्र अनुबंध पी 2 द्वारा दिया गया था और गोपनीय रिपोर्ट के उनके मूल्यांकन को 'अच्छे' से सुधारने का आदेश दिया गया था। 'बहुत अच्छा' उन्हें सूचित किया गया था, - पत्र दिनांक 2 फरवरी, 1978 (अनुलग्नक पी 1) के माध्यम से और आदेश अनुबंध पी 7/ए द्वारा उन्हें चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया है (जिस तारीख से उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था और, इसलिए, चयन सूची में लाए जाने और 1973 से 1977 तक आईएएस कैडर में शामिल किए जाने के उनके मामले पर फिर से विचार करना पड़ा। उन्होंने पहले ही 1973/1974 की चयन सूची में लाए गए अधिकारियों के खिलाफ अपना दावा छोड़ दिया है। और, इसलिए, मामले को वर्ष 1975, 1976 और 1977 तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। बेशक, 1975-76 के लिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि तब तक उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं हुआ था। वर्ष 1977 के लिए भी, याचिकाकर्ता का मामला यह था कि हटाई गई टिप्पणियों और बेहतर गोपनीय रिपोर्ट के आलोक में उन पर विचार नहीं किया गया। हालाँकि, लिखित बयान के पैरा 1 में निहित राज्य सरकार का रुख यह था कि 19 दिसंबर, 1977 के निर्णय के बावजूद प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया था, याचिकाकर्ता के पक्ष में अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद चयन समिति की बैठक हुई। 30 दिसंबर, 1977 को उनके समग्र रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद भी उन्हें चयन सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से लिखित बयान में दर्ज उपरोक्त तथ्यात्मक बयान को चुनौती दी गई थी। इसलिए, हमने मूल फ़ाइल मंगवाई। मूल फ़ाइल हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी और उस पर नज़र डालने से पता चलता है कि इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया था। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उन्हें वर्ष 1977 के लिए चयन सूची में क्यों नहीं लाया गया। इसके अलावा, ग्रेडेशन को 'अच्छे' से 'बहुत

अच्छा' कर दिया गया था, जिसका निर्णय जनवरी/फरवरी, 1978 में लिया गया था, और यह है इसके बाद याचिकाकर्ता के वर्ष 1977 के मामले पर विचार किया जा सकेगा। सरकारी फाइल से मिले तथ्यों के मद्देनजर, राज्य और भारत सरकार के वकील लिखित बयान में अपनाए गए रुख का समर्थन करने के लिए कोई तर्क देने में असमर्थ रहे। इसके बाद यह स्पष्ट है कि वर्ष 1977 के लिए चयन सूची तैयार करते समय भी, प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में सुधार करने के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया।

(11) अब यह देखना होगा कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरुद्ध अभ्यावेदन स्वीकार करने तथा वर्ष 1972-73 के लिए ग्रेडेशन में सुधार करने पर याचिकाकर्ता वर्षों से आईएएस की चयनित सूची में लाए जाने हेतु पुनर्विचार का हकदार है या नहीं 1975-76 और 1977 (याचिकाकर्ता ने 1973, 1974 के लिए एचएफएस दावा छोड़ दिया है)। यह मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में गुरदयाल सिंह फ़िजी बनाम पंजाब राज्य और अन्य, ([6]) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कवर किया गया है। गुनेंद्र प्रसाद सेनकुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ([7]) भी याचिकाकर्ता के मामले का पूरी तरह से समर्थन करता है। उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह माना जाता है कि अभ्यावेदन की स्वीकृति और टिप्पणियों को हटाने और वर्ष 1972-1973 के लिए ग्रेडेशन में सुधार के मद्देनजर, याचिकाकर्ता वर्ष 1975-1976 और 1977 के लिए विचार किए जाने का हकदार है। आईएएस की चयन सूची में आने के लिए। राज्य सरकार ने स्वयं उन्हें चयन ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में उस तारीख से लाभ दिया, जिस दिन से उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी, यानी 21 जनवरी, 1972 से - अनुबंध पी 7/ए के अनुसार, और फिर भी उनके मामले की सुनवाई नहीं की जा रही थी। वर्ष 1975 से 1977 के लिए उन्हें आईएएस की चयन सूची में लाने पर विचार किया गया। वर्ष 1977 के लिए उन्हें चयन सूची में न लाने के लिए जो कारण बताया गया था, वह पहले से मौजूद तथ्यों के आधार पर गलत पाया गया है। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि उसके सेवा रिकॉर्ड परिशिष्ट पी 1 और पी 2 को देखते हुए वर्ष 1975 से 1977 तक के लिए आईएएस की चयन सूची में उसका नाम शामिल किया जा सके।

(12) ऊपर दर्ज कारणों से, इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है, आदेश परिशिष्ट पी 9 को रद्द किया जाता है। और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक समय पर लागू नियमों के अनुसार, वर्ष 1975 से 1977 के लिए आईएएस चयन सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार करने के लिए आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देश जारी किया जाता है। वर्ष 1972-73 को संशोधित या संशोधित किया गया है और अन्य प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड के साथ अनुबंध पी 1 और पी 2 के माध्यम से सूचित किया गया है और याचिकाकर्ता की नियुक्ति और आईएएस कैडर में अवशोषण को ऐसे पुनर्विचार के आधार पर विनियमित किया जाए। यदि चयन समिति निर्णय लेती है कि वह चयन सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए उसे हटा दिया जाना चाहिए, तो वह प्रस्तावित अधिक्रमण के कारणों को दर्ज करेगी। दूसरी ओर, यदि समिति उसका नाम चयन सूची में शामिल करने का निर्णय लेती है, तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार उस सूची में रैंक पाने का हकदार होगा, जब तक कि समिति की राय में, असाधारण योग्यता वाला कोई कनिष्ठ अधिकारी न हो और उपयुक्तता जिसे उच्च स्थान सौंपा जा सके। इसके बाद नियमों के

[6] ए.आई.आर.1979 एस.सी. 1622.

[7] 1983 (2) एस.एल.आर. 189.

अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। कमेटी आज से 6 महीने के अंदर इस मामले पर फैसला ले. याचिकाकर्ता आधिकारिक उत्तरदाताओं से लागत पाने का हकदार होगा।

डी. एस. तेवतिया, जे- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा